District Registry Office,Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1430

RTPS No.:-
030119351002001511

श्री PRABHAT KUMAR PANDEY ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

इसलिए प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियां में सं० 01/01/2010 से सं० 30/09/2020 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Gaya sadar	Chandauti w.no 37	Alamgirpur	253	07			0				
2	Gaya sadar	Chandauti w.no 37	Alamgirpur		m.p 4660&4661o			0				
3	Gaya sadar	Chandauti w.no 37	Alamgirpur	253	890k,oth	15.61 decimal	agreement of agre	13907000	47	324	343	2020
4	Gaya sadar	Chandauti w.no 37	Alamgirpur		m.p 890o			0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Lalit Prasad
L D C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Rakesh Kumar Sinha
L D C

कार्यालय – District Registry Office, Gaya

तारीख – 14/10/2020

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
14-10-2020

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविश्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हे तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।

3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

For, Sarvodaya Construction & Development Pvt. Ltd.

Director

पत्रांक:– 1805 दिनांक:– 14/10/2020

शाखा प्रबंधक BOB PATNA के पत्र दिनांक 09/09/2020 के आलोक में प्रेशित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
14-10-2020